SL-912.

समाहरणालय दरभंगा

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक /रा0

आई0 डी0 कोषांग, विधि विभाग
V.K.Sha
21 MAR 2021
बिहार सरकार

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
दरभंगा।

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद,
बिहार, पटना।

लहेरियासराय, दिनांक वी मार्च 2022

विषयः- **बिहार विधान सभा में दिनांक-07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।**

प्रसंगः- विधि विभाग के पत्र सं0-एल0आर0टी0-02-वि0स0 (ध्याना0)-13/2022-1255/जे0 दिनांक-05.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के आलोक में ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या-4850/2021 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL NO.-33675 OF 2017) के .... इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त आदेश सभी अंचल अधिकारी को पत्रांक-265/रा0 दिनांक-11.02.2022 के द्वारा अनुपालन करने हेतु प्रेषित एवं एतदर्थ निदेशित है।
2.	अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/अनिबंधित है........................... ....संबंधित वांछित सूचना के संबंध में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।	2. सभी अंचल अधिकारियों द्वारा एतदर्थ जाँच कराई जा रही है। अद्यतन प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा जिलान्तर्गत मठ/मंदिर जो निबंधित/ अनिबंधित है, की संख्या- 570 एवं सन्निहित रकवा-1359.57 एकड़ है, अंचल अधिकारी को अवशेष जाँच पूर्ण करने एवं खाता, खेसरा संकलित करने हेतु निदेशित किया गया है।
3.	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	3. गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना के संकल्प ज्ञाप सं0-8778 दिनांक-19.09.2016 के द्वारा चाहरदिवारी के निर्माण का कार्य स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से कराये जाने का प्रावधान है। मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश किये जाने हेतु सभी अंचल अधिकारी को पत्रांक-504/रा0 दिनांक-05.03.2022 के द्वारा निदेशित किया गया है। बिहार धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित/ सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईस कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन की माँग स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से की जायेगी।

4.	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	4. मामला संज्ञान में नही है। संज्ञान में आने के पश्चात अवैध कब्जा से मुक्त कराने हेतु नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

समाहर्त्ता,
दरभंगा ।

ज्ञापांक 591 /रा0 लहेरियासराय दिनांक 21 वीं मार्च 2022

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/22

समाहर्त्ता,
दरभंगा ।